

लखनौ

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

18.5.2021/225/2021 वक्तव्य नं. 185/2021

तारीख	20.2.185 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	राज्यो. भ.से.09	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
पेशी	श्री शिव प्रकाश चौधरी श्री	राजकीय अ.स.स.स.स.	10

20/2
24

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपील की
उपस्थित 1-वहम हलु अभिभाषक अपील अहकाम
गए है लणभरित मे एउ ओर अवास्त मियाजाता
हे मनु आगामी पेशी पर आवश्यक रूप से
वहल करे। पत्रावली को हलु वहल प्रा. पत्र
द्वारा 5 मियाद अधिक न वहल अपील
दिनांक 17.1.25 को पेश हलु २

अज अदालत प्राधिकारी

17/01/21

पत्रावली पेश की गई। अफियाषक अपील को हलु अपील को
उपस्थित नहीं। अफियाषक अपील को हलु अपील को
काई बार रुक-रुक कर आवजे डिलरि गई किन्तु
कोई भी उपस्थित नहीं हुए। अतः अपील अपील को अफ
हजरी - अडम पेखी मे खारिज की जारी है।
पत्रावली के मलरुभाए डिकर नम्बर मे कय हलु २

**राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर**

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

भंवरलाल बनाम कमला वगैरह

किस्म मुकदमा- 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रकरण संख्या - 2024 / 347 (मसूदा)

दिनांक
31/12/24

	श्री गौतमचंद टांक	
31.12.2024	<p>भंवरलाल बनाम कमला देवी वगैरह (2024 / 347)</p> <p>यह अपील श्री गौतमचंद टांक ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा प्रकरण संख्या 84/2024 में पारित आदेश दिनांक 19.12.2024 के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई। अपील बाद जांच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जावें। अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया गया। प्रार्थना पत्र स्थगन पर अभिभाषक अपीलांत को सुना गया।</p> <p>अभिभाषक अपीलांत द्वारा प्रार्थना पत्र स्थगन पर की गई बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रति व संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन रेस्पोजेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एवं वाद तथा वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया। दिनांक 19.12.2024 को रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आरा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर अभिभाषक प्रार्थी को एकपक्षीय रूप से सुनकर अंतरिम स्थगन आदेश जारी किये गये। अभिभाषक अपीलांत द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब प्रस्तुत नहीं करे सीधे ही अपील की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विचाराधीन है तथा प्रार्थना-पत्र का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किया जाना है, फिर भी हम न्यायहित में पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए एवं समुचित न्याय निर्णय के उद्देश्य से प्रार्थना-पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का 30 दिवस में निस्तारण करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा को निर्देशित करना उचित समझते है।</p> <p>अतः अपील इसी स्तर पर निर्णित की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा को निर्देशित किया जाता है कि वह उनके समक्ष लम्बित प्रार्थना-पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण उभयपक्ष को जवाब/सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए गुणावगुण पर 30 दिवस में आवश्यक रूप से करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर</p>	

अजमेर